न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 287/2011

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1-धीसा पुत्र कालु 2-रामु पुत्र कालु 3-प्रताप पुत्र मिसरू 4-सुभान पुत्र मल्ला 5-छोटू पुत्र मल्ला 6-बालु पुत्र अहमद जाति-मेहरात साकिन-ढानी बगतपुरा, तह.-जैतारण,जिला-पाली		1- उपमुख्य अभियन्ता "निर्माण" उत्तर पश्चिम रेल्वे अजमेर 2-मण्डल प्रवन्धक उत्तर पश्चिम रेल्वे, अजमेर 3-महाप्रवन्धक, वांगड सिमेंट उघोग भीमगढ, रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.26/11/2011**

उपस्थित:. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री चावण्डदान चारण, अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण सं0 3 उप0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 03/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-बगतपुरा, पटवार क्षैत्र-रास-द्वितीय में वादीगण के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2520, करवा - 10 वाघा 3 बिस्वा आयी हुई है। जिसके सर्मथन में जमाबंदी संवत 2064 से 2067 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के सेथ पेश है, जो दावा का भाग माना जावे तथा नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा नम्बर 2520 की पेश है, जो भी दावे का भाग माना जावे एवं खसरा नम्बर 2520 व अन्य खसरा नम्बरान की नक्शा किस्तवार की प्रमाणित प्रतिलिपि भी दावे के साथ पेश की है, जो दावे के भाग माना जावे। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2520 के वादीगण खातेदार कास्तकार होकर काविज है तथा मौके पर वादीगण द्वारा बोई हुई गेंहू की फसल व मिर्चि की फसल, बैंगन की फसल जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेष कर रेल्वे लाईन निकालने व बिछाने का काम षुरू कर दिया। वादीगण ने अपने विधिक अधिकारो के रूप में प्रतिवादीगण को स्पष्ट रूप से बताया की वादीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर-2520 रकबा- 10 बीघा 3 बिस्वा को बिना अवाप्त कीये अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रेल्वे लाईन निकालने व बिछाने का कार्य नही करे। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा गैरकानूनी कार्य रेल्वे लाईन बिछाने आदि का बन्द नही किया। वादीगण के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2520 के बारे में कोई नोटिस कार्य वाही नही की गई है। इसके उपरान्त भी बिना पूर्व सुनवाई व सूचना के प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर रेल्वे लाईन वादीगण के खातेदारी में से होकर निकाल रहे है, जो विधि एवं न्याय के विपरीत है तथा प्राकृतिक न्याय के विपरीत व खिलाफ हैं। वादीगण के उक्त भूमि में जहा प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल्वे लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा हैं, वहा पर सवादीगण के खैत में दोनो और गेहूं की फसल खडी है तथा बैंगण की फसल भी मौके पर खडी हैं इस बारे में श्रीमान जी के समक्ष अलग से एक पाथना पत्र पेश किया, जो मौके पर पटवारी हल्का-रास को आदेश प्रदान किया

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कि मौके की साईट स्पष्ट करे नाप कर मुझे स्वयं बताये तथा मौके पर खातेदारान को बुलाया जावे। प्रार्थना पत्र मय आदेश की छायाप्रति दावा के साथ पेश की है, जो दावा का भाग माना जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खेत खसरा नम्बर 2520 में अनाधिकृत प्रवेश कर रेल्वे लाइन बिछाने का कार्य जे.सी.बी. ट्रेक्टर इत्यादि के जरिये वादीगण की गेहूं फसल कुछ नश्ट कर दी है लगभग 60,000 रूपये मिर्ची की फसल 15,000 रूपये तथा बैंगन की फसल से करीब 20,000 रूपये व बबूल के पेड 26 बैर के पांच पैड व अंग्रेजी बबूल के 50-60 पैड लगे हुए थे जो लगभग कीमतन 1,50,000/- रूपये का नुकसान प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से कर चूके है, जो गैरकानूनी व गलत हैं जिसकी कार्यवाही अलग से की जायेगी। प्रतिवादीगण की और से दिनांक 14/11/2011 को अनाधिकृत प्रवेश किया व उससे पहले भी जाकेर जबरदस्ती से बिना नोटीस दिये ही रेल्वे लाईन बिछाने का कार्य कर रहे है। इस प्रकार वादीगण को गैरकानूनी व नाजायज तरीके से बिना सुनवाई किये एवं बिना भूमि अवाप्त किये वादीगण को बेदख़ल करने व भूमि के उपयोग व उपभोग में दखलन्दाजी व दस्तन्दाजी कर रहे है। जिन्हे रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रतिवादीगण हमेशा के वास्ते वादीगण को अपने अधिकारो से व कब्जे काश्त से विधि विरूद्व तरीके से महरुम कर देंगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। विनाय दावा दिनांक 14-11-2011 के पूर्व व इसके पश्चात लगातार प्रतिवादीगण के विरूद्ध नाजायज रूप से रेल्वे लाईन निकालने, बिछाने से वादीगण को नाजायज रूप से बेदखल करने पर उतारू होने से सरहद मौजा-बगतपुरा पटवार हल्का रास में उत्पन्न होता है। वादीगण का वाद अन्दर मयाद पेश किया है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। प्रतिवादी को मजमा-ए-आम में तलब किया गया किन्तु उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाता हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रति0 सं0 3 की ओर से आग्रह किया गया कि खसरा नम्बर 2520 रकबा 10-03 बिस्वा में से भूमि बां.ग्रा.रा. रेल लाईन हेतु अवाप्त हो चुकी हैं, मौके पर रेल लाईन भी निकाली जा चुकी हैं। लिहाजा बां.ग्रा.रा. रेल लाईन हेतु अवाप्त सुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित समझतें हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बगतपुरा, पटवार क्षेत्र-रास-द्वितीय में वादीगण के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2520, करबा - 10 बाघा 3 बिस्वा में वादी के हिस्से में से बां.ग्रा.रा. रेल लाईन हेतु अवाप्त सुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि में काश्त करने में दखलदांजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1-धीरा पुत्र कालु 2-रामु पुत्र कालु 3-प्रताप पुत्र मिसरू 4-सुभान पुत्र मल्ला 5-छोटू पुत्र मल्ला 6-बालु पुत्र अहमद जाति-मेहरात साकिन-ढाणी बगतपुरा, तह.-जैतारण,जिला-पाली		1- उपमुख्य अभियन्ता "निमार्ण" उत्तर पश्चिम रेल्वे अजमेर 2-मण्डल प्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेल्वे, अजमेर 3-महाप्रबन्धक, बांगड सिमेंट उघोग भीमगढ, रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:287/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बगतपुरा, पटवार क्षैत्र-रास-द्वितीय में वादीगण के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 2520, करबा - 10 बाघा 3 बिस्वा में वादी के हिस्से में से बां. ग्रा.रा. रेल लाईन हेतु अवाप्त सुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि में काश्त करने में दखलदांजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner